बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0 संख्या–भवन / 11 / आरोप (बेगूसराय)–29 / 2023 .... / पटना, दिनांक–

:: अधिसूचना ::

श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद के विरूद्ध भवन प्रमण्डल, बेगूसराय में वित्तीय वर्ष 2019–20 में मरम्मति कार्य का गोपनीय तरीके से निविदा कर घटिया निर्माण कार्य करने के आरोप के सन्दर्भ में निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित आरोपों को अन्तर्विष्ट करते हुए आरोप पत्र गठित किया गया। गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–7191(भ) दिनांक–04.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। विभागीय पत्रांक–10413 दिनांक–22.12.2023 एवं विभागीय पत्रांक–1483 दिनांक–13.02.2024 द्वारा स्मारित करने के बावजूद भी श्री पाण्डेय द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

(2) आरोप पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की विधिवत जाँच करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु एवं संकल्प संख्या–8279(भ) दिनांक–15.10.2024 द्वारा मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

(3) संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–210(अनु0) दिनांक–11.07.2025 में आरोप पत्र के सभी चार (04) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के सन्दर्भ में आरोपित पदाधिकारी श्री अशोक कुमार पाण्डेय से विभागीय पत्रांक–7558(भ) दिनांक–12.08.2025 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–7818(भ) दिनांक–21.10.2025 द्वारा स्मारित भी किया गया।

(4) श्री अशोक कुमार पाण्डेय के पत्रांक–1480(अनु0) दिनांक–22.10.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री पाण्डेय के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षा से यह स्पष्ट है कि मापी पुस्त में वास्तविक कार्य से अधिक कार्य की प्रविष्टि करते हुये भुगतान करने की गंभीर अनियमितता श्री पाण्डेय द्वारा की गयी है। मनोनयन के आधार पर अधिकतम 25 प्रतिशत कार्य कराया जाना है, परन्तु इनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगभग 90 प्रतिशत कार्य मनोनयन के आधार पर कराये जाने का आरोप भी प्रमाणित है। श्री अशोक कुमार पाण्डेय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में प्रमाणित आरोपों को नकारने के संबंध में कोई अभिकथन / तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि विभाग को मात्र दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। अतः सम्यक समीक्षोपरान्त बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुये श्री पाण्डेय के विरूद्ध ''कालमान वेतन में स्थायी तौर पर (संचयी प्रभाव के साथ) तीन (03) प्रक्रम पर अवनति'' का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कृ0पृ0उ0...............

Ashish

(5) विभागीय पत्रांक–11705(भ) दिनांक–29.12.2025 द्वारा उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4272 दिनांक–28.01.2026 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

(6) अतएव श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vii) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:–

(i) कालमान वेतन में स्थायी तौर पर (संचयी प्रभाव के साथ) तीन (03) प्रक्रम पर अवनति।

(7) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (बेगूसराय)–29/2023........................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ई0–गजट कोषांग एवं वित्त (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (बेगूसराय)–29/2023 ..../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री अशोक कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (बेगूसराय)–29/2023 ..../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह –विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेगूसराय/जहानाबाद/उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–1 एवं 2, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Ashish

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Ashish Sir\Prarup Nigrani

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप (बेगूसराय)–29 / 2023 ..../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप (बेगूसराय)–29 / 2023 ....923 (अ)..../ पटना, दिनांक– 28/1/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Ashish

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Ashish Sir\Prarup Nigrani